कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 15(14)2023/गो.प्र./प्रमुवसं–07443
निमित्त, दिनांक :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री, राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, RFBP-2/RFBDP, राजस्थान, जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
6. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
8. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
9. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर सवाईमाधोपुर/सरिस्का अलवर/मुकन्दरा कोटा
10. मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी. कोटा/एफ.पी.आर.पी. जयपुर।

विषय – मंत्रालयिक संवर्ग के लोकसेवकों की गत वर्षो की बकाया वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन (APAR) भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कार्यरत मंत्रालयिक लोक सेवकों की गत कई वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ति करवाकर इस कार्यालय को प्रेषित नहीं कराये गए है, जिसके अभाव में इनकी पदोन्नति नहीं हो पाती है एवं कई बार पदोन्नति से वंचित भी होना पड़ता है।

क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 10 पर अंकित कार्यालय स्वयं एवं अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी) की लोक सेवकों की बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (ऑफलाईन/ऑनलाईन) निम्नलिखित निर्देशों की पालन करते हुए **दिनांक 19.02.2024 व 20.02.2024 को इस कार्यालय में आयोजित बैठक में संलग्न प्रपत्र एवं प्रमाण–पत्रों के साथ संबंधित विज्ञ कार्मिक के साथ वाहक स्तर पर इस कार्यालय के गोपनीय अनुभाग में अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, डाक के माध्यम से वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं भिजवायें।**

1. लोक सेवको की सत्र 2021–22 से बकाया APAR ऑनलाईन ही स्वीकार्य है, ऑफलाईन APAR स्वीकार्य नहीं की जावें। संबंधित प्रतिवेदित/प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी को APAR ऑनलाईन प्रेषित करने के लिए पाबन्द करें। वर्ष 2021–22 से पूर्व की APAR पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार ही ऑफलाईन मूल APAR ही प्रेषित करें।
2. यदि किसी लोक सेवक की वांछित बकाया APAR में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित है तो संबंधित लोक सेवक की सूचना अग्रेषित पत्र में अंकन करते हुए मय APAR पृथक से भिजवाई जानी सूनिश्चित करें। APAR में प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में लोक सेवक को सूचित करने वाला पत्र, लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन (यदि कोई हो तो) भी प्रेषित करें।
3. अपूर्ण वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन इस कार्यालय को नहीं भिजवाएं, इससे कार्य में अनावश्यक विलम्ब और दोहराव की स्थिति होती है। समस्त वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का आप अपने स्वयं के स्तर पर पूर्ण परीक्षण कर, अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को पूर्ण करवाकर ही इस कार्यालय को भिजवायें।
4. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में किसी प्रकार की कटिंग हो तो कटिंग को अटेस्ट किया जाए एवं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पर फ्लूईड लगा हुआ नहीं होना चाहिए।
5. मोहर स्पष्ट एवं पठनीय होनी चाहिए तथा पदनाम के उपर अधिकारी का नाम अवश्य अंकित करें।

6. समस्त मुख्य वन संरक्षक, कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों को पदवार तैयार कर **इस कार्यालय को निर्धारित समयावधि में भिजवाए जाने हेतु सतत प्रबोधन एंव समुचित पर्यवेक्षण की सुनिश्चित की जावें।** उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी कार्यालय वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन सीधे इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करे।

यदि वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभाव में आगामी डी.पी.सी. पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित लोकसेवक/संबंधित अधिकारी की होगी।
उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

भवदीय

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(14)2023/गो.प्र./प्रमुवसं–07443/1903-1985/C
दिनांक : 09-2-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी ।
2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशन किये जाने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान जयपुर

प्रपत्र

1. इस कार्यालय में संधारित होने वाली लोक सेवकों **(मंत्रालयिक संवर्ग– वरिष्ठ सहायक से उच्चतर पद लोक सेवक, निजी सचिव संवर्ग के समस्त लोक सेवक)** की बकाया APAR निम्न प्रपत्र में भिजवाना सुनिश्चित करें –

क्र. सं	नाम कार्यालय	नाम लोक सेवक	पिता का नाम	पद	APAR अवधि	APAR में अंकित टिप्पणी (हॉ/नही)			वि.वि.
						प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता अधिकारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट :– कॉलम संख्या 7 से 9 में केवल हॉ/नहीं अंकित करना है।

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में पदस्थापित वांछित लोक सेवकों **(मंत्रालयिक संवर्ग– वरिष्ठ सहायक से उच्चतर पद लोक सेवक, निजी सचिव संवर्ग के समस्त लोक सेवक)** की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) वर्ष 2022–23 तक की संधारण हेतु कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर में प्रेषित की जा चुकी है।

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय में पदस्थापित समस्त लोक सेवकों द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) वर्ष 2022–23 तक की प्रस्तुत/भर दी गई है एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा टिप्पणी अंकित करने के उपरांत निर्धारित कार्यालय में संधारित की जा रही है।

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी